



संख्या- 6/प०नि०गो०वि०(1) 02/2026...../ दिनांक- ...../2026

**"आदेश"**

श्री उमेश चन्द्र यादव, तदेन पशुधन सहायक, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, चौसा सम्प्रति सहायक चारा विकास पदाधिकारी, कार्यालय उप निदेशक (प०वि०), मध्यम पशु विकास परियोजना (मु०स्तर) मधेपुरा के संबंध में उप निदेशक (प०वि०), मध्यम पशु विकास परियोजना (मु०स्तर) मधेपुरा के पत्रांक-04, दिनांक-22.01.2026 एवं पत्रांक-22, दिनांक-19.06.2026 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि श्री यादव चौसा थाना कांड सं०-179/16, दिनांक-21.10.2016 दर्ज प्राथमिकी में दिनांक 09.08.2017 से 01.09.2017 तक न्यायिक हिरासत रहे हैं। श्री यादव कारा से रिहा होने के पश्चात् अपने पदस्थापित कार्यालय में दिनांक 02.09.2017 को योगदान समर्पित किया गया।

उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट उदाकिशुनगंज, मधेपुरा न्यायालय द्वारा उक्त मामले में दिनांक-05.11.2018 को पारित न्यायादेश में श्री यादव को बरी किया गया है। उक्त पारित न्यायादेश का Operative Part निम्नवत् है:-

"The accused person namely, Umesh Chandra Yadav is given benefit of doubt and acquitted from the charged of sections 341,323,354,504 I.P.C. alleged against him and further discharged from the liabilities of his bail bonds."

श्री यादव द्वारा दिनांक-16.01.2026 को समर्पित अभ्यावेदन के द्वारा कारावास अवधि का वेतन भुगतान करने का अनुरोध किया गया।

उक्त मामले की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरांत निम्नांकित निर्णय संसूचित किया जाता है-

(i) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (2) (क) में निहित प्रावधान के अन्तर्गत न्यायिक हिरासत/जेल की अवधि दिनांक 09.08.2017 से 01.09.2017 तक निलंबित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9 (3) (1) के तहत जमानत पर छुटने के उपरान्त दिनांक-02.09.2017 को समर्पित योगदान स्वीकृत करते हुए निलंबन से मुक्त किया जाता है।

(ii) श्री यादव के निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु इस अवधि का गणना सभी प्रयोजनार्थ कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी।

4. इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह०/-

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक- 6/प०नि०गो०वि०(1)02/2026-

4262(नि०)

दिनांक- 28/09/2026

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप निदेशक (प०वि०), मध्यम पशु विकास परियोजना (मु०स्तर) मधेपुरा/जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा/ क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, कोशी क्षेत्र, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्री उमेश चन्द्र यादव, सहायक चारा विकास पदाधिकारी, कार्यालय उप निदेशक (प०वि०), मध्यम पशु विकास परियोजना (मु०स्तर) मधेपुरा तदेन पशुधन सहायक, कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, चौसा, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

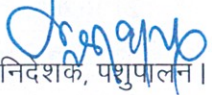


बिहार सरकार  
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग  
पशुपालन निदेशालय  
पटना-800014



प्रतिलिपि :- उप निदेशक (मु०) अराजपत्रित स्थापना, पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- विभागीय आई० टी० मैनेजर को (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधितों को ई-मेल करने) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
निदेशक, पशुपालन।